फर्द अहकाम

(नियम–26)

अज अदालत अतिरिक्त कलक्टर, चित्तौड़गढ़ (राज.)

विकास अधिकारी, पंचायत समिति, राशमी
बनाम
गाम पंचायत हरनाथपुरा जरिये सरपंच वगैरा

प्रकरण संख्या 59/2016 (नि.पं.)

तारीख हुक्म	*हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज*	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
06.09.24	पत्रावली पेश हुई। निगराकार की ओर से आज भी बावजूद सूचना कोई उपस्थित नहीं। अधिवक्ता गैर निगराकार संख्या 2 उपस्थित। रूक–रूक कर तीन–चार बार आवाजें लगवाई गई फिर भी निगराकार तथा उसकी ओर से कोई प्रतिनिधि उपस्थित नहीं। निगराकार/विकास अधिकारी, पंचायत समिति, राशमी को इस न्यायालय के पत्रांक 385 दिनांक 13.10.2017 से प्रकरण में किसी के द्वारा उपस्थिति नहीं देने से प्रभावी पैरवी सुनिश्चित करने हेतु लिखते हुए प्रकरण में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में उन्हें स्वयं उत्तरदायी होने के संबंध में अवगत कराते हुए प्रभावी पैरवी हेतु लिखा गया फिर भी उनके द्वारा प्रकरण में उपस्थिति नहीं दी जा रही तथा किसी प्रतिनिधि के द्वारा भी उपस्थिति नहीं दी जा रही है अर्थात् वे अपने प्रकरण के प्रति गम्भीर नहीं है। अतः अब प्रकरण अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। चूंकि प्रकरण अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज हुआ है जिससे राज्य पक्ष प्रभावित हुआ है अतः निर्णय की प्रति मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, चित्तौड़गढ़ को भिजवाते हुए संबंधित की जवाबदेही तय करने हेतु लिखा जावे। निर्णय की प्रति पालनार्थ संबंधित को प्रेषित की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।	